राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः डीसी/विधि/2014/82 दिनांक :– 10-04-2014

प्रभारी, सर्वर रूम,
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्यालय, जयपुर।

विषय :–प्रकरण संख्या 383/11 सरकार बनाम मदन लाल सुमन, आत्मज गेंदीलाल सुमन निवासी सुल्तानपुर रोड, ग्राम–पोस्ट, दीगोद जिला कोटा मे पारित निर्णय की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–5 कोटा ने उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में दिनांक 12.03.2014 को आदेश पारित किया है जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करते हुये समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को ई–मेल भी करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (9)

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम – 5 कोटा

पीठासीन अधिकारी सोनिया बेनीवाल, आर0जे0एस0

नं0फौ0सं0 383/11

29 MAR 2014

सरकार परिवादी

बनाम

मदनलाल सुमन आत्मज गेंदीलाल जाति सुमन निवासी सुल्तानपुर रोड, ग्राम ... जिला कोटा

अपराध अन्तर्गत धारा 18(c)/27(b) (ii), 18 (A)/28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940

उपस्थित – स0लो0अ0
श्री महेन्द्र स्वरूप भार्गव, अधिवक्ता मुलजिम

निर्णय दिनांक 12–3–14

इस प्रकरण का परिवाद औषधि निरीक्षक श्री डा0 मनोज कुमार ... मदनलाल सुमन के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा में अपराध अन्तर्गत धारा 18(c) एवं 18 (A) दण्डनीय अपराध अन्तर्गत धारा 27(b) ii एवं 28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का दिनांक 26–2–98 को पेश किया । इसके पश्चात यह प्रकरण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगा) कोटा को अंतरित किया गया । इसके पश्चात यह प्रकरण पुनः माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय कोटा के आदेश दिनांक 28–5–11 द्वारा इस न्यायालय को अंतरित कियां गया ।

अभियोगी डा0 मनोज कुमार त्रिपाठी, औषधि निरीक्षक, कोटा ने परिवाद में अंकित किया है कि वह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 21 के तहत समस्त राजस्थान राज्य के लिए विधिवत निरीक्षक नियुक्त है जिसकी अधिसूचना राज0 पत्र अगस्त ... 1985 ... (क) में संस्था प0 26 (10) एम0ई0 1 ग्रुप – 1 1 75, जयपुर दिनांक 20 जुलाई 1985 ... प्रकाशित हो चुकी है, जिसके अनुसार प्रार्थी अधिनियम की धारा 32 के तहत न्यायालय में अभियोग लाने हेतु प्राधिकृत है । अभियोगी ने दिनांक 28–2–95 को डा0 जी0पी0 ... तत्कालीन संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, कोटा एवं डा0 के0एल0 कुमट एवं अन्य दो स्थानीय साक्षीगण की उपस्थिति में अभियुक्त की दुकान का निरीक्षण किया, जिसमें औषधियों का स्टाक पाया गया, जिसको अभियुक्त ने स्वयं द्वारा बेचने हेतु रखा जाना बताया एवं औषधियों के संग्रहण एवं विक्रय हेतु कोई अनुज्ञाप नहीं पाया गया, नही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर का प्रमाण पत्र पेश कर सका । फर्द रिपोर्ट तैयार की गयी, मुलजिम एवं मौजूद व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये । अभियुक्त से फार्म नंबर 16 में अंकित 9 प्रकार की औषधियां जब्त की गयी एवं फर्द रिपोर्ट एवं जब्ती रसीद फार्म नंबर 16 की प्रति अभियुक्त को दी गयी । अभियोगी ने दिनांक 4–3–95 को श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा के न्यायालय में अभियुक्त से जब्तशुदा औषधियों के बारे में सूचना दी एवं फर्द रिपोर्ट ... की सत्यापित प्रति पेश करते हुए कस्टडी आर्डर प्राप्त करने बाबत निवेदन किया जिस पर श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा ने सीलशुदा पेकिट को अभियोगी की सुरक्षा में रखने के निर्देश प्रदान किये । उक्त कार्यवाही एवं जाँच आदि की सूचना जरिये पत्र कमांक 497 दिनांक 23–3–95 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा को दी गयी क्योंकि मदनलाल ने स्वयं को ग्राम नयागॉव अहीरान जिला कोटा में स्थित उच्चीकृत उप केन्द्र में प्रभारी मेल नर्स के पद पर कार्यरत होना जाहिर किया था एवं अभियुक्त की दीगोद स्थित निजी दुकान में जब्तशुदा

औषधियों में राजकीय सप्लाई की औषधियाँ भी थी । मेलनर्स ग्रेड सेकिण्ड के अपोइंटिंग एण्ड रिमुवल आथेरिटी, एडीशनल डायरेक्टर या डायरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विस के तहत है । इनकी अपोइंटिंग एण्ड रिमुवल आथेरिटी, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार नहीं है । औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में भी किसी पूर्व स्वीकृति का भी प्रावधान नहीं है । ग्राम दीगोद में अभियुक्त की दुकान चलने से अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन हुआ है । वह उनके उनके राजकीय निर्वहन में भी नहीं आता है । अतः चालानी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । अभियोगी ने अभियुक्त को जरिये पत्र कमांक 415–17 दिनांक 11–12–97 से अधिनियम के प्रावधानों में नोटिस देकर जब्तशुदा औषधियों के बिल आदि बताने का निर्देश दिया, जिसके जवाब में मुलजिम ने पत्र दिनांक 21–12–97 द्वारा जाहिर कियाकिं औषधियों के कय बिल आदि प्रस्तुत करने में असमर्थ है एवं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर का प्रमाण पत्र या औषधियों का अनुज्ञापत्र भी पेश नहीं किया । औषधि नियंत्रक राज0 जयपुर ने प्रकरण में पत्र कमांक 17 दिनांक 21–2–98 द्वारा अभियोगी को अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में वाद पेश करने हेतु अभियोजन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की । उपरोक्त तथयों के आधार पर अभियुक्त ने बिना औषधि अनुज्ञापत्र के 9 प्रकार की औषधियों का संग्रह कर एंव विकयार्थ विरतरण हेतु प्रदर्शित करके अधिनियम की धारा 18 (c) का उल्लंघन किया है जो धारा 27(b) ii के तहत दण्डनीय अपराध है । अभियुक्त ने धारा 18 (A) के तहत औषधि निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर औषधियों को जिस व्यक्ति से कय किया / प्राप्त किया का नाम एवं पता उलब्ध नहीं करवा कर धारा 28 के तहत दण्डनीय अपराध किया है । अन्त में अभियुक्त के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर दण्डित करने का निवेदन किया ।

इसके पश्चात आरोप पूर्व साक्ष्य में डा0 मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक के कथन लेखबद्ध किये गये और पक्षकारान की बहस चार्ज सुनकर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध बनना पाया जाने पर उसे दिनांक 26–10–05 को अपराध अन्तर्गत धारा 18(c) / 27(b) (ii) एवं धारा 18 (A) / 28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया समझाया गया, उसने आरोप इन्कार कर प्रकरण में अन्वीक्षा चाही ।

अभियोजन साक्ष्य में पी0ड0 1 डा0 मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक पी0ड0 2 ओम प्रकाश पी0ड0 3 बाबूलाल पी0ड0 4 डा0 जी0पी0 माथुर के बयान लेखबद्ध किये गये एवं दस्तावेज साक्ष्य में निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी0 1 फार्म नंबर 16 प्रदर्श पी0 2, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दीगोद के अधिकारी की मुलजिम की अनुपस्थिति बाबत रिपोर्ट प्रदर्श पी0 4, इश्यू वाउचर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी0 5 एवं 6, ब्रदर्स फार्मा प्रा0लि0 जयपुर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा को जारी बिल प्रदर्श पी0 7, डा0 मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक मुख्यालय कोटा की रिपोर्ट प्रदर्श पी0 8, स्टाक रजिस्टर उच्चीकृत उप केन्द्र ग्राम नयागॉव प्रदर्श पी0 9, इसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी0 10 स्टाक रजिस्टर उच्चीकृत उप केन्द्र ग्राम नयागॉव की प्रति प्रदर्श पी0 11 एवं 12, मुलजिम मदनलाल को किया गया निरीक्षण एवं जब्ती के संबंध में नोटिस प्रदर्श पी0 13, जवाब प्रदर्श पी0 14, प्रशासनिक स्वीकृति प्रदर्श पी0 15, निरीक्षक नियुक्त करने का नोटीफिकेशन प्रदर्श पी0 16, परिवाद प्रदर्श पी0 17, स0लो0अ0 के पैरवी का प्रार्थनापत्र प्रदर्श पी0 18 को प्रदर्शित करवाया गया ।

इसके पश्चात अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0स0 लिये गये तो उसने जब्ती उसके सामने किया जाना स्वीकार किया है एवं नया गॉव में उसके सामने स्टाक रजिस्टर की जॉच करनाअ और स्टाक इन्चार्ज होना स्वीकार किया । जब्तशुदा औषधियों का बिल पेश नहीं करना और लाईसेंस नहीं था इस तथ्य को स्वीकार किया है । फार्म नंबर 16 में साइन करना और रिपोर्ट पर साइन करना स्वीकार किया है, बाकी तथ्य गलत बताये हैं ।

बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
29 MAR 2014

औषधि नियंत्रण अधिकारी
कोटा (राज.)

इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि

(1) क्या मुलजिम ने दिनांक 28-2-95 को समय 12-30 पी0एम0 पर ग्राम दीगोद में बिना औषधि अनुज्ञापत्र के 9 प्राकर की औषधियॉ जिनका विवरण फार्म नंबर 16 में है, का संग्रह अपनी दुकान में कर एवं विकय वितरण हेतु प्रदर्शित की ?

(2) क्या मुलजिम ने उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर मुलजिम से जब्त उक्त औषधि व्यक्ति से कय किया, प्राप्त किया, का नाम पता औषधि निरीक्षक को नहीं बताया ?

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी । दौराने स0लो0अ0 ने कथन किया है कि पत्रावली में आयी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे सिद्ध होता है । अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे ।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने निम्नलिखित तर्क पेश किये है :-
(1) मुलजिम के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथम तो यह सिद्ध करना है कि मुलजिम ने उससे जब्तशुदा औषधियों को विकय करने के लिए रखा हो ?और यह तथ्य कि विकय हेतु रखा है यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है । केवल मात्र औषधि को अपने पास रखना अपराध की श्रेणी में नहीं आता हैं ।

विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने अपने तर्क के समर्थन में सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त
ए0आई0आर0 1979 एस0सी0 564
मो0 शब्बीर बनाम महाराष्ट्र राज्य
पेश किया है ।

(2) विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने दौराने बहस यह तर्क पेश किया है कि इस न्यायालय को प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है बल्कि माननीयं सेशन न्यायालय को इसका अधिकार है ? धारा 32/36 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम न्यायालय का क्षेत्राधिकार बार करता है

(3) विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने दौराने बहस यह तर्क पेश किया है कि जो औषधियां से मिली हैं वे सभी बाजार में आसानी से मिल जाती है एवं सभी के घरों में होती है
फर्द जब्ती में 9 नंबर की दवाई Metoclopromide जो मुलजिम से जब्त होना बताया जा रहा है । यह दवाई मुलजिम ने अपनी पत्नी को अस्पताल में दिखया था और उसकी पत्नी को यह दवॉई इश्यू हुई थी जिसका एन्ट्री आउटडोर रजिस्टर प्रदर्श डी0 1 है एवं प्रिश्किप्शन प्रदर्श डी0 3 है ।

(4) विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने दौराने बहस यह तर्क पेश किया है कि हस्तगत प्रकरण में मुलजिम के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई Sanction प्राप्त नहीं हुई थी । अतः बिना Sanction के मुलजिम के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने अपने तर्क के समर्थन में सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त
2012 कि0ला0 जनरल 4115
राज्य बनाम मो0 रफीक
पेश किया है ।

(5) विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने दौराने बहस यह तर्क पेश किया है कि सेम्पल लेते समय धारा

प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार सिविल एवं सेशन न्यायालय, कोटा
29 MAR 2014
12.03.14
कोटा (राज.)
औषधि नियंत्रण अधिकारी कोटा (राज.)

23 (1) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की पालना करना अनिवार्य है किन्तु इस प्रकरण में इसकी पालना नहीं की गयी है ।

विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने अपने समर्थन में सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त :–
2011 (2) कि0ला0रि0 (राज0) 1531
वेंकुथा पांडुरंग प्रभू एवं अन्य बनाम राज0 राज्य

पेश किया है ।

उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली में आयी साक्ष्य का अवलोकन किया गया । पत्रावली में अभियोजन पक्ष ने जो साक्षीगण पेश किये हैं उसमें डा0 मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक को बतौर पी0डी0 1 परीक्षित करवाया गया है जिनकी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तो उन्होंने अपनी साक्ष्य में कथित किया है कि दिनांक 28–2–95 को औषधि निरीक्षक के पद पर तैनात था । उस दिन दिन में साढ़े 12 बजे के करीब डा0 जी0पी0 माथुर एवं डा0 के0एल0 कुम्मट के साथ ग्राम दीगोद कोटा स्थित दुकान का निरीक्षण करने पहुँचे थे । इस पर मदनलाल सुमन हाजिर अदालत की उपस्थिति एवं दो स्थानीय साक्षीगण ओमप्रकाश स्वामी एवं बाबूलाल सेनी की मौजूदगी में निरीक्षण किया था । दुकान में दाखिल होने से पूर्व उन्होंने एवं [illegible] व्यक्तियों ने जामातलाशी स्वयं की ली थी । उक्त दुकान में औषधियों का स्टाक पाया [illegible] पूछने पर श्री मदनलाल ने औषधियों बाबत कोई अनुज्ञापत्र पेश नहीं किया था [illegible] मेडिकल प्रेक्टिशनर का प्रमाण पत्र पेश किया था । इस प्रकार उनके पास औषधियाँ [illegible] कोई विधि सम्मत कारण नहीं था । पूछने पर बताया था कि यह दवाईयाँ बेचने हेतु [illegible] हैं । इन दवाईयों में एक दवाई राजकीय सप्लाई की होने का सन्देह था [illegible] औषधियों को फार्म नंबर 16 पर जब्त किया गया । समस्त कार्यवाही के पश्चात मुलजिम के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया ।

पी0डी0 2 के रूप में ओम प्रकाश को परीक्षित करवाया जो फर्द जब्ती का साक्षी है जो पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हो गया है ।

पी0डी0 3 बाबूलाल भी फर्द जब्ती का साक्षी है और यह भी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हो गया है ।

पी0डी0 4 डा0 जी0पी0 माथुर हैं, जिन्होनें कथन किया है कि दिनांक [illegible] दीगोद में मदनलाल सुमन मेल ग्रेड द्वितीय कम्पाउण्डर के साथ वह एवं सी0एम0एण्ड एच0ओ0 कोटा के साथ दुकान का निरीक्षण किया गया था । समस्त कार्यवाही सी0एम0एण्ड एच0ओ0 उनके सामने की थी । समस्त दवाईयाँ दुकान में थी और सरकार की थी एवं वहाँ पायी गयी थी । इन दवाईयों को रखने बाबत मदनलाल के पास कोई अनुज्ञापत्र या लाईसेस नहीं था । मिली हुई दवाईयों का विवरण फार्म नंबर 16 में अंकित है । रिपोर्ट प्रदर्श पी0 1 बनायी थी, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं ।

अतः अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये साक्षीगण में सबसे [illegible] साक्षी पी0डी0 1 डा0 मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक हैं, जिन्होंने अपने बयान [illegible] प्रदर्श पी0 17 में यह तथ्य अंकित किया है कि डा0 जी0पी0 माथुर मुख्य चिकित्सा [illegible] अधिकारी एवं डा0 के0एल0 कुम्मट की उपस्थिति में अभियुक्त की दुकान का निरीक्षण [illegible] था और जिसके यहाँ पर औषधियों का स्टाक पाया गया था जिसका विवरण प्रदर्श पी0 [illegible] नंबर 16 में अंकित है ।

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
29 MAR

इस सन्दर्भ में प्रदर्श पी0 2 फार्म नंबर 16 का अवलोकन करें तो उसमें उल्लेख है कि दिनांक 28–2–95 को मदनलाल सुमन की दुकान सुल्तानपुर रोड ... जिला कोटा का निरीक्षण किया गया था और उसमें नौ तरह की दवाईयॉं मिली थी और ... ज्यादा इंजेक्शन्स थे और एक इंजेक्शन Metoclopromide इन्जेक्शन था जिसकी कुल संख्या ... थी और राजस्थान सरकार अंकित था । उक्त फार्म नंबर 16 पर मुलजिम ने अपने हस्ताक्षर ... से एच स्वीकार किये हैं, किन्तु इस संबंध में अपने बयान मुलजिम में अंकित किया है कि उसने साइन किये थे लेकिन पढ़ा नहीं था ।

मेरी राय में केवल मात्र यह कह देने से कि बिना पढ़े मुलजिम द्वारा ... किये हैं यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने नहीं पढ़ा हो क्योंकि यह अविवादित है कि ... एक कम्पाउण्डर है । यदि शिक्षित व्यक्ति द्वारा बिना पढ़े साइन किये जाते हैं तो ... स्वंय जिम्मेदार होगा ।

इसके अलावा अपने बयान मुलजिम में स्वंय मुलजिम ने इस तथ्य को ... किया है कि उसके सामने दिनांक 28–2–95 को डा0 मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक, डा0 जी0पी0 माथुर, एवं डा0 के0एल0 कुम्मट के सामने औषधियॉं जब्त हुई थी और मुलजिम के अनुसार उसने यह औषधियॉं अपने परिवार के लिए रखी थी । अतः इन परिस्थितियों में फार्म नंबर 16 एवं मुलजिम के बयान मुलजिम से यह अविवादित है कि मुलजिम से फार्म नंबर 16 में अंकित दवाईयॉं जब्त हुई हैं ।

इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने दौराने बहस यह कथन ... कि केवल मात्र औषधियों को स्टोक करना धारा 27 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री ... में अपराध में नहीं है । इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने सम्मानीय न्यायिक ...

ए0आई0आर0 1979 एस0सी0 564
मो0 शब्बीर बनाम महाराष्ट्र राज्य

... किया है ।

माननीय उच्चतम न्यायलय के उपरोक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया । उक्त प्रकरण के तथ्य हस्तगत प्रकरण से बिल्कुल भिन्न हैं । उपरोक्त प्रकरण में रेल्वे स्टेशन से 17 प्लास्टिक कंटेनर में 17000 व्हाइट कलर टेबलेटस बरामद हुए थे ... हस्तगत प्रकरण में मुलजिम की दुकान से औषधियॉं बरामद हुई हैं और इस फर्द जब्ती ... मुलजिम ने स्वीकार किया है ।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त ... ए0आई0आर0 1974 एस0सी0 517 सावंतराज बनाम महाराष्ट्र राज्य पूर्ण रूप से चस्पा होता है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

" Storage, even though for short spells and on ad hoc basis, and without intent to sell at a certain place but as part of the sales business, comes within scope of storage for sale in section 18 (c) and R. 62.

इसके अलावा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त ... 1985 पेज 126 राज्य बनाम पूरणलाल में यह अंकित किया है कि :–

" Section 27- it would make a mockery of the provisions of the D... Cosmetics Act, 1940 or similar other provisions if large scale stock of prohibited drugs or ...

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
29 MAR
औषधि नियंत्रण अधिकारी
कोटा (राज.)

other articles which were kept without any valid licence and yet the accused are allowed to go scot free on the fallacious assumption that the stock found from the shop was not meant for sale. If that view was accepted as correct it would become impossible to proceed against any one. In such a case wherever a raid takes place when shop is closed the accused will always be able to get away because it would be said that the stock was not meant for sale. After all people do not for fun of it keep scores of bages or vials full of drugs or goods for which a valid lience is required. Interpetation of law must be attune to the general and natural conduct of an individual."

इसके अलावा सेक्शन 18 (c) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में offer ... संशोधन कर दिनांक 1–2–1983 को जोड़ा गया है । अतः इससे स्पष्ट है कि सेल होना ... नहीं है । औषधि को सेल के लिए offer करना भी सेक्शन 18 (c) औषधि एवं प्रसाधन ... अधिनियम में आता है ।

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये पी0डी0 1 डा0 मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक एवं समस्त दस्तावेजों से अभियोजन पक्ष मुलजिम के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है और पी0डी0 1 डा0 मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक के बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

इस संबंध में माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त ड्रग केसेज 1976 पेज 78 द पब्लिक प्रोसीक्यूटर आन्ध्र प्रदेश बनाम महावीर प्रसाद एवं अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

(E) Drugs and Cosmetics Act, 1940 - Drugs Inspector cannot be called partisan witness.

एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि

"ड्रग इन्सपेक्टर की साक्ष्य पर अविश्वास करने का क्या कारण है क्योंकि वह अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान कार्यवाही करता है । अत उसके द्वारा की गयी कार्यवाही पर शक नहीं किया जा सकता "

विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने ऐसा कोई तर्क पेश नहीं किया है कि ड्रग इन्सपेक्टर पी0डी0 1 डा0 मनोज कुमार त्रिपाठी की कोई रंजिश मुलजिम से रही हो । अतः ... सिद्ध नहीं है वहाँ ड्रग इन्सपेक्टर पी0डी0 1 डा0 मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा ... कार्यवाही एवं बनायी गयी फर्द जब्ती पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है ।

इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता मुलजिम द्वारा पेश किया गया तर्क कि फार्म नंबर 16 में 9 नंबर पर जो औषधि Metoclopromide अंकित है वह मुलजिम ने अपनी पत्नी को अस्पताल में दिखाने गया था जिसका प्रिस्क्रिप्शन प्रदर्श डी0 1 है रजिस्टर में एन्ट्री प्रदर्श डी0 1 ... है, इसलिए यह औषधि मुलजिम मदनलाल के घर में थी ।

मेरी राय में केवल मात्र इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि ... औषधि केवल उनकी पत्नी के लिए रखी गयी हो । इसकी कुल संख्या 6 बतायी गयी है ... चूँकि ये इन्जेक्शन हैं । अतः इन्जेक्शन अस्पताल में ही दिये जाते हैं, न कि घर पर ...

इसके अलावा ऐसा कोई प्रावधान विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने पेश नहीं ... है कि कम्पाण्उडर अपने घर पर इन्जेक्शन दे सकता हो और मुलजिम मदनलाल कम्पाण्उडर ...

12.03.14
विशिष्ट न्यायाधीश (ड०) क्रम-5, कोटा (राज.)
सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
29 MAR 2014

था एवं राजकीय सेवा में था ।

जहॉ तक अन्य दवाईयों 1 लगायत 8 का प्रश्न है ? इस सन्दर्भ में प्रदर्श पी0 2 फार्म नंबर 16 का अवलोकन किया गया । इसके बावत एक नोटिस मुलजिम को प्रदर्श पी0 13 दिया गया था जिसका जवाब मुलजिम ने प्रदर्श पी0 14 दिया है । उक्त जवाब में भी फार्म नंबर 16 में अंकित दवाईयॉ 1 लगायत 8 के बारे में यह अंकित है कि यह औषधियॉ उसे विभिन्न पारिवारिक समस्याओं के अनुसार अलग–अलग समय पर खरीदी गयी थी । उनके बिल उसके पास नहीं है ।

अतः The Drugs and Cosmetics Act, 1940 के section 18 (A) में मुल... है कि उससे जो औषधियॉ जब्त की गयी थी वह उसने कहॉ से खरीदी थी यह ... प्रकरण में मुलजिम यह बताने में असमर्थ रहा है ।

जहॉ तक विद्वान अधिवक्ता मुलजिम का यह तर्क कि इस न्यायालय को प्रकरण की सुनवायी का क्षेत्राधिकार नहीं है ?

मेरी राय में यह तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि The Drugs and Cosmetics Act, 1940 के section (32) (2) के अनुसार :–

32. Cognizance of offences - (2) No Court inferior to that of [a Metropolitan Magis... or of a Jidicial Magistrate of the first class] shall try an offence punishable unde... chapter.

जहॉ तक विद्वान अधिवक्ता मुलजिभ का यह तक कि प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य है ?

मेरी राय में यह तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि The Drugs and Cosmetics Act, 1940 , section (32) दिनांक 10–3–2009 को संशोधित किया गया था और उसके पश्चात The Drugs and Cosmetics Act में अध्याय संख्या 4 के तहत जो अपराध है वह माननीय सेशन न्यायालय द्वारा विचारण किये जाने योग्य हैं ।

हस्तगत प्रकरण वर्ष 2009 से पूर्व का है एवं The Drugs and Cosmetics ... संशोधित अधिनियम में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि इसका retrospective प्रभाव हो... अतः मुलजिम से जो बरामदगी है वह The Drugs and Cosmetics Act में जो संशोधन ... उससे पहले का होने के कारण पूर्व का जो The Drugs and Cosmetics Act है उसके तहत ... प्रकरण गर्वन होगा और The Drugs and Cosmetics Act 1940 के सेक्शन 32 के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय को इस प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार है ।

जहॉ तक विद्वान अधिवक्ता मुलजिम का तर्क कि बिना स्वीकृति लिये मुलजिम के विरूद्ध परिवाद पेश किया गया है ?

मेरी राय में यह तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि The Drugs and Cosmetics Act, 1940 में स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि कन्ट्रोलिंग आथोरिटी से इन्स्ट्रक्... प्रावधान है ।

The Drugs and Cosmetics Act, 1940 , section (32) के सन्दर्भ में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त सरकार बनाम ... सिंह बनाम राज्य 1974, ...

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
29 MAR 2014

औषधि नियंत्रण अधिकारी
कोटा (राज.)

कि0ला0जनरल 728 में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

" (2) यह कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 32 ... प्रसंज्ञान लेने हेतु अगर अभियोजन स्वीकृति लिये जाने की अनिवार्यता होती तो उसका स्पष्ट उल्लेख होता जैसा कि इसी अधिनियम के Chapter IV-A के तहत वर्गीगृत आयुर्वेदिक सिद्धा एवं यूनानी ड्रग्स के मामले में प्रसंज्ञान लेने हेतु स्पष्ट तौर पर लिखा है ।"

हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श पी0 15 के जरिये औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर ने मुलजिम मदनलाल के विरूद्ध डा0 मनोज कुमार त्रिपाठी को सक्षम न्यायालय में वाद ... करने के निर्देश दिये हैं ।

जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता मुलजिमका यह कथन कि सेक्शन 23 (1) ... प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की पालना नहीं की गयी है ।

मेरी राय में केवल मात्र इस आधार पर अभियोजन कहानी पर सन्देह नहीं किया जा सकता क्योंकि हस्तगत प्रकरण में कोई सेम्पल नहीं लिया गया है बल्कि सम्पूर्ण औषधियां मुलजिम से जब्त हुई थी, उनको सील किया गया था । यह तर्क मानने योग्य नहीं है । अतः इन परिस्थितियों में यह तर्क मानने योग्य नहीं है ।

विद्वान अधिवक्ता मुलजिम का तर्क कि स्वतंत्र साक्षीगण पी0डी0 2 ओम प्रकाश पी0डी0 3 बाबूलाल दोनों पक्षद्रोही घोषित हो गये हैं । अतः यह सिद्ध नहीं है कि मुलजिम ... रखी थी ?

मेरी राय में यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि पी0डी0 2 ओम प्रकाश पी0डी0 3 बाबूलाल दोनों ने फार्म नंबर 16 प्रदर्श पी0 2 एवं निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी0 1 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है । उनके हस्ताक्षर जबरदस्ती कराये गये हों या उनकी ... पी0डी0 1 डा0 मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक से कोई रंजिश रही हो यह सिद्ध नहीं है ।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह तथ्य निर्विवाद है कि मुलजिम के कब्जे से फार्म नंबर 16 प्रदर्श पी0 2 में अंकित औषधियां जब्त की गयी थी जिनका ... उसके पास नहीं था और वह यह बताने में असमर्थ रहा है कि उन्होंने कहाँ से क्रय ... अतः अभियोजन पक्ष मुलजिम मदनलाल के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा ... (ii) एवं धारा 18 (A)/28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम सन्देह से परे सिद्ध ... पूर्णतः सफल रहा है । मुलजिम मदनलाल को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 18(c)/27 ... एवं धारा 18 (A)/28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है ।

(सानिया बैनीवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम - 5 कोटा

सजा के बिन्दु पर सुना गया ।

विद्वान स0लो0अ0 ने निवेदन किया है कि मुलजिम के विरूद्ध सिद्ध हुए अपराध को ...

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
29 MAR 2014

12.03.14
विशिष्ट न्यायाधीश (ब० न्या०) क्रम-5, कोटा (राज.)

औषधि नियंत्रण अधिकारी कोटा (राज.)

नजर रखते हुए उसं उचित दण्ड से दण्डित किया जावे ।

अधिवक्ता मुलजिम ने निवेदन किया है कि प्रकरण वर्ष 1998 से लंबित है आ[illegible] 17 साल की लंबी अन्वीक्षा भुगत रहा है । अतः इन परिस्थितियों में मुलजिम को परीविक्षा [illegible] लाभ प्रदान किया जावे ।

उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन किया गया । यह तथ्य निर्विवाद है कि पत्रावंली पर मुलजिम के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्ध का कोई प्रमाण नहीं है, परन्तु अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान नहीं किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है ।

दण्डादेश

अतः अभियुक्त मदनलाल सुमन आत्मज गेंदीलाल जाति सुमन निवासी सुल्ता[illegible] ग्राम एवं पोस्टदीगोद जिला कोटा को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 18(c)/27(b) (ii) [illegible] (A)/28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाकर अपराध अन्तर्गत धारा 18(c)/27(b) (ii) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 18 (A)/28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में एक वर्ष का साधारण करावास एवं 500/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अभियुक्त मदनलाल अदम अदायगी अर्थदण्ड की स्थिति में 15-15 दिवस का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा । सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी [illegible] मुलजिम द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि मूल सजा में [illegible] जावेगी । मुलजिम का सजा वारण्ट बनाया जावे । मुलजिम को नकल निर्णय [illegible] की जावे । मुलजिम के उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं [illegible] जब्तशुदा माल बाद मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे ।

12.03.14

(सोनिया बेनीवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम - 5 कोटा

निर्णय आज दिनांक 12-3-14 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

12.03.14

(सोनिया बेनीवाल)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम - 5 कोटा

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सैशन न्यायालय, कोटा
29 MAR 2014